कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर,(छ.ग.)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–19 / 2017 928 अम्बिकापुर, दिनांक 29/5/17

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Coservation Act 1980 under windening and upgrading of N.H. 78 to 2 lane with paved shoulder from Ambikapur to Pathalgaon area 31.104 ha.- regarding.**
पंजीयन क्रमांक– **FP/CG/ROAD/12117/2015**

संदर्भ :– (1) आपका पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.–115–589 / 809 दिनांक 25.03.2017

(2) वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल का पत्र क्रमांक / तक. अधि. / न.क्र.–03 / 909 दिनांक 03.05.2017

....

विषयान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 (नया रा.रा. क्रमांक–43) अम्बिकापुर–पत्थलगांव सेक्शन को पेव्हड शोल्डर सहित 02 लेन चौड़ीकरण कार्य के लिए वनभूमि 31.104 हे. हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत ऑनलाईन परीक्षण में कमियों का निराकरण कर वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र–02 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार निराकरण का बिन्दूवार जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के फार्म "ए" के पार्ट **I** एवं पार्ट **II** में वनमण्डलवार वनक्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है :–

जिला / वनमण्डल का नाम	राजस्व वनभूमि (हे. में)	वनभूमि (हे. में)	कुल वनभूमि (हे. में)
1	2	3	4
सूरजपुर	0.54	6.646	7.185
सरगुजा	0.00	23.077	23.077
जशपुर	0.842	0.000	0.842
योग :–	**1.382**	**29.723**	**31.104**

उपरोक्तानुसार ऑन लाईन प्रविष्टी पार्ट **II** में पूर्ण किया गया है। ऑन लाईन प्रविष्टी में अंतर त्रुटिवश हुआ है जिसे सुधार कर पार्ट **II** में सही –सही प्रविष्टी की गई है।

D:\A.W. N. 2017\All memo\Ambikpur -Pathlgaon NH- 78.doc

(2) फार्म "ए" के पार्ट **I** एवं पार्ट **II** की मूल हस्ताक्षरित प्रति संलग्न सम्प्रेषित है।

(3) वैकल्पिक वृक्षारोपण सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसका **KML** एवं मानचित्र अपलोड किया गया है।

(4) डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट **KML** फाईल तथा शेष फाईल प्रस्तावित क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सी.डी. में जानकारी संलग्न सम्प्रेषित है, एवं उक्त जानकारी ऑन लाईन अपलोड किया गया है।

(5) प्रस्ताव की एक मूल प्रति संलग्न सम्प्रेषित है।

(6) एन.पी.व्ही. का निर्धारित प्रपत्र में गणना पत्रक तैयार कर संलग्न सम्प्रेषित है।

(7) प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न सम्प्रेषित है। कलेक्टर सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर जिले के द्वारा जारी वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रमाण–पत्र को ऑन लाईन अपलोड किया जा रहा है।

(8) वनमण्डलाधिकारी का नाम एवं सील प्रस्ताव में दर्शित है।

(9) प्रस्तावित क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्यप्राणी एवं वृक्षों के वैज्ञानिक नामों की सूची संलग्न सम्प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार जानकारी पूर्ण कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 03 प्रतियों में जानकारी सहित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–19 / 2017 929 **अम्बिकापुर, दिनांक** 29/5/17

प्रतिलिपि :– (1) मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालन अभियंता अम्बिकापुर सरगुजा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर

D:\A.W. N. 2017\All memo\Ambikpur -Pathlgaon NH- 78.doc